भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 129
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
सोमवार, 31 आषाढ़, 1946 (शक)

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना

129. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के आरंभ से अब तक देश में इसके
अंतर्गत कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित और नियोजित किया गया है और कुल नियोजन दर केवल 18 प्रतिशत होने के क्या कारण हैं;

(ख) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में नियोजन दर सबसे कम 9.3 प्रतिशत होने के क्या कारण हैं और इस निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जाने की योजना है;

(ग) पीएमकेवीवाई के राज्य-प्रबंधित घटक हेतु ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली की स्थिति क्या है और देश के केवल 15 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में ही इसे लागू किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) महिला अभ्यर्थियों के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप सहित पीएमकेवीवाई के अंतर्गत 20 प्रतिशत अभ्यर्थियों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की समस्या के समाधान के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(ङ) आवंटित निधि का उपयोग, जो 2021-22 में घटकर 72 प्रतिशत रह गया था, में सुधार लाने और राज्य कौशल विकास मिशन को समय पर राशि जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाएंगे?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं पुनः कौशलीकरण विकास प्रदान करना है। पीएमकेवीवाई के अंतर्गत एसटीटी प्रमाणित उम्मीदवारों को प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किए गए हैं, तथा आरपीएल में पहले से मौजूद कौशल के प्रमाणन की प्रक्रिया शामिल है। इस योजना के पहले तीन संस्करणों में जिन्हें वितीय वर्ष 2015-16 से वितीय वर्ष 2021-22 तक पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और

पीएमकेवीवाई 3.0 में कार्यान्वित किया गया है उनमें अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था ।

नियोजन को पीएमकेवीवाई 4.0 से अलग कर दिया गया है, जो कि योजना का वर्तमान संस्करण है और इसे वित्त-वर्ष 2022-23 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

पीएमकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत, 2015 से 30.6.2024 तक 1.48 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। इसके अलावा, पहले तीन संस्करणों के अंतर्गत, एसटीटी में प्रमाणित 56.88 लाख उम्मीदवारों में से 24.3 लाख उम्मीदवारों को नियोजन की सूचना दी गई है, जिससे कुल नियोजन दर 42.8% हो गई है।

(ख) स्कीम के पहले तीन संस्करणों में अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन को ट्रैक किया गया था, जो कि पीएमवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 हैं, जिन्हें वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक कार्यान्वित किया गया।

नियोजन को पीएमकेवीवाई 4.0 से अलग कर दिया गया है, जो कि स्कीम का वर्तमान संस्करण है और वित्त वर्ष 2022-23 से लागू किया जा रहा है। पीएमकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत, 2015 से 30.6.2024 तक, महाराष्ट्र राज्य में 12.72 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। इसके अलावा, पहले तीन संस्करणों के अंतर्गत, एसटीटी में प्रमाणित 2.60 लाख में से 80,950 उम्मीदवारों को नियोजन प्राप्त हो गया है, जिससे महाराष्ट्र राज्य में कुल प्लेसमेंट दर 30.4% हो गई है।

(ग) वर्तमान में पीएमकेवीवाई स्कीम का चौथा संस्करण अर्थात पीएमकेवीवाई 4.0, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में 2022-23 से कार्यान्वित किया जा रहा है और पीएमकेवीवाई 4.0 में कोई राज्य प्रबंधित घटक नहीं है। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई 4.0 सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है।

(घ) वर्ष 2022-23 से पीएमकेवीवाई 4.0 के कार्यान्वयन की अवधि के लिए, उम्मीदवारों की ड्रॉप-आउट दर 13.84% है। ड्रॉप-आउट को और कम करने के लिए, पीएमकेवीवाई 4.0 को मांग-संचालित योजना के रूप में डिज़ाइन किया गया है और इसे एक सरलीकृत और एकीकृत पोर्टल स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, विशेष समूहों (महिलाओं और दिव्यांगजनों) और आकांक्षी, सीमावर्ती, आदिवासी बहुल और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों सहित विशेष क्षेत्रों में बोर्डिंग और लॉजिंग तथा परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, स्कीम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, गैर-आवासीय प्रशिक्षण के लिए भी उनके लिए परिवहन लागत प्रदान की जा रही है।

(ङ) पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत कोई राज्य प्रबंधित घटक नहीं है क्योंकि इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। तदनुसार, राज्य कौशल विकास मिशन को किसी भी राशि का प्रत्यक्ष आवंटन/वितरण नहीं किया गया है।

*****